संख्या- 465/2025/7218/नौ-5-2025 /002-Com. No.-1445206

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) राज्य मिशन निदेशक (अमृत-2.0), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 05 ~~नवंबर~~ दिसम्बर, 2025

विषयः- अमृत-2.0 योजनान्तुर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके समतुल्य राज्यांश एवं निकायांश की संशोधित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-एसएमएमयू/4807/39(09)/2025,दिनांक 18-11-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-61/2025/2855/नौ-5-2025/003-1445206, दिनांक 20-05-2025 द्वारा अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश एवं निकायांश की कुल धनराशि रू० 1600.00 करोड़ (रूपये सोलह अरब मात्र) निम्नवत अवमुक्त की गयी थी:-

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र०	निकाय	लेखा शीर्ष	SLS	**Total (CA+State Share+ULB) as per MS dt.08-05-2025**
1	2	3	4	9
1	अमृत-2.0(10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2017-05-191-0105	UP-250	**600.00**
2	अमृत-2.0(1 लाख से 10 लाख अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-192-0105	UP-251	**300.00**
3	अमृत-2.0(1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-193-0105	UP-252	**700.00**
		योग -		**160000**

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 20-05-2025 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-F.No.K-16015/06/2022-AMRUT-1B, दिनांक 03-11-2025 द्वारा अमृत-2.0 योजनान्तर्गत Revised Mother Sanction जारी की गयी हैं, उक्त के क्रम में राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, द्वारा निम्नानुसार केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र०	निकाय	लेखा शीर्ष	SLS	**Revised MS Total(CA+State Share+ULB)**
1	2	3	4	10
1	अमृत-2.0(10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2017-05-191-0105	UP-250	**400.00**
2	अमृत-2.0(1 लाख से 10 लाख अधिक जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-192-0105	UP-251	**450.00**
3	अमृत-2.0(1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	2217-05-193-0105	UP-252	**700.00**
		योग -		**1550.00**

3- अत: अमृत-2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-11-2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अमृत-2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा Revised Mother Sanction के अनुसार संशोधित केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश की कुल **रू० 150.00 करोड़ (रू० एक अरब पचास करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान एस०एन०ए० भुगतान प्रणाली के अंतर्गत नियमानुसार साइबर ट्रेजरी के माध्यम से की जायेगी ।

(2) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नगर निकाय के अंश की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्ह ही धनराशि का आहरण करेंगे।

(7) इस संबंध में 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) भारत सरकार के संशोधित आदेश के क्रम में रू 200.00 करोड़ उस मानक मद (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर) (2017-05-191-0105) में वापस हस्तांतरित कर लेंगे जिस मद से यह धनराशि आवंटित की गयी थी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,50,00,00,000 (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051920105 अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.33.33/रा.50-के.+रा.) (1 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-- E-9-148-X-2025-26- दिनांक: 05-12-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

संख्या-465/2025/7218(1)/नौ-5-2025 /002-Com. No.-1445206, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।

4- निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।

10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Handry

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।